POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2023/अंक 01

मासिक प्रेषण दि. 8 जनवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 जनवरी, 2023 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जॉग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! भारत को जी-20 की अध्यक्षता मिलना सभी देश वासियों के लिए गौरव का विषय है। एक दिसम्बर 2022 से भारत ने इस महत्वपूर्ण पद को ग्रहण किया है।

'ग्राम गदर' परिवार की ओर से सभी पाठकों और ग्रामीण भाई-बहिनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभ कामनाएं।

भारत की नीति सदैव 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की रही है। इसका अर्थ है 'एक पृथ्वी-एक परिवार'। प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम सब मिलकर वैश्विक समस्याओं के समाधान और मानवता के कल्याण के लिए अपनी सोच में बदलाव लाने की पहल कर सकते हैं। इससे दुनिया में एकता की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

आज सम्पूर्ण विश्व के सामने जलवायु परिवर्तन, हथियारों की होड़, युद्ध की आशंका, आतंकवाद, महामारी, गरीबी, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सकंट जैसी अनेक समस्याएं मुंहबाये खड़ी है। जिनका दुष्प्रभाव करीब-करीब सभी देशों को भुगतना पड़ रहा है।

हाल ही भारत में पहली बार राजस्थान के उदयपुर जिले में विधिवत आयोजित जी-20 शेरपा सम्मेलन में विभिन्न विषयों जैसे वैश्विक खाद्य संकट, स्वास्थ्य सुरक्षा, सतत् विकास लक्ष्यों आदि पर मंथन किया गया। जिसमें कई देशों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता निभाई।

उन्होंने समस्याएं भी गिनाई और सुझाव भी रखे। भारत सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों को दुनिया के बड़े देशों के सामने प्रमुखता से रखेगा।

जनता के अधिकार को निर्वाचित प्रतिनिधि बना रहे कमजोर

प्रदेश में सरपंच, प्रधान व सभापति प्रथम अपील पर ठीक से सुनवाई नहीं करके सूचना का अधिकार कानून को कमजोर बना रहे हैं। ग्रामीण और शहरी संस्थाओं के ये मुखिया सीधे तौर पर निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और इनके सही तरीके से सुनवाई नहीं करने के कारण राज्य सूचना आयोग में अपीलों की संख्या बढ़ती जा रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बनाए गए राज्य के नियमों में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों की प्रथम अपील सुनने का अधिकार सरपंच, प्रधान व सभापति को दिया गया है। इसको लेकर शुरुआत में विवाद भी खड़ा हुआ था। उस समय तर्क दिया गया था कि निर्वाचित प्रतिनिधि होने के कारण ये जनता का दर्द आसानी से समझ सकेंगे, जिससे न केवल सूचना का अधिकार कानून का मकसद पूरा होगा बल्कि इसे मजबूती भी मिलेगी।

परन्तु राज्य सूचना आयोग पहुंच रही अपीलों को देखें तो सामने आ रहा है कि पंचायती राज संस्था व शहरी निकाय दोनों ही जगह निर्वाचित संस्था प्रमुख प्रथम अपीलों पर ठीक से सुनवाई नहीं कर रहे, जो कि कानून की भावना के खिलाफ है। मुख्य सूचना आयुक्त डी.बी. गुप्ता के 21 माह के कार्यकाल में 20 हजार 500 अपील राज्य सूचना आयोग तक पहुंची है। इनमें पंचायती राज व शहरी निकाय के मामलों की संख्या ज्यादा है।

खराब आरओ नहीं बदला, देना होगा हर्जाना

जयपुर स्थित बरकत नगर निवासी गौरव सक्सेना ने एमआइ रोड स्थित गुप्ता एजेंसीज से यूरेका फोर्ब्स का आरओ प्लस 8700 रुपए में खरीदा। जिस पर एक साल की गारंटी दी गई थी। आरओ कुछ दिन बाद ही खराब हो गया। विक्रेता को शिकायत करने पर एक व्यक्ति ने आकर उसे सही किया और 500 रुपए सर्विस चार्ज के तौर पर वसूल कर लिए। इसके कुछ दिन बाद आरओ फिर खराब हो गया। जिसकी शिकायत कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर की। कंपनी के टैक्नीशियन ने आरओ सही किया, लेकिन कुछ दिन बाद वह फिर से खराब हो गया। इस पर उन्होंने कंपनी और विक्रेता को आरओ बदलने के लिए बोला। लेकिन कई बार कहने के बावजूद आरओ नहीं बदला गया। गौरव सक्सेना ने हारकर मामला जिला उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराया।

उपभोक्ता आयोग के नोटिस पर विक्रेता और कंपनी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। आयोग ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए बिल व दस्तावेजों के आधार पर खराब आरओ बेचने को सेवा दोष माना। आयोग ने विक्रेता गुप्ता एजेंसीज और आरओ निर्माता कंपनी को आदेश दिया कि वे उपभोक्ता गौरव सक्सेना को आरओ की कीमत 8700 रुपए ब्याज सहित वापस करें साथ ही मानसिक संताप व परिवाद व्यय के तौर पर 15 हजार रुपए अदा करने के निर्देश भी दिए हैं।

नए बजट में गांवों पर होगा फोकस

केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्र में चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों पर खर्च 50 फीसदी बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। कोरोना महामारी के बाद गांवों में मनरेगा के जरिए रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसके बावजूद बेरोजगारी दर उच्च स्तर पर बनी हुई है।

मद्देनजर, माना जा रहा है कि सरकार का ध्यान गांवों में रोजगार बढ़ाने पर ज्यादा होगा। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटे और मंझोले उद्योगों और बैंकिंग सेक्टर में खर्च बढ़ाया जा सकता है। इन तीनों सेक्टरों में निवेश बढ़ने से अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार मिल सकेगी और रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे।

कर्ज चुकाने में गरीब अमीरों से आगे

कर्ज लेकर उसे वापस करने में गरीब अमीरों से दोगुना आगे है। पिछले सात सालों में केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के तहत गरीबों को छोटे-छोटे व्यवसाय चलाने के लिए 13.64 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया था, उसमें से 96.3 फीसदी इन गरीबों ने लिया गया ऋण वापस कर दिया।

जबकि इन्ही सालों में बैंकों के जरिए बड़े उद्योगपतियों, कारोबारियों को दिया गया ऋण काफी देरी तक बिना चुकाए चलता रहा और कुछ ऋण डूब भी गया। गौरतलब यह है कि जब वर्ष 2015 में मुद्रा योजना शुरू की गई थी तो माना जा रहा था कि गरीबों से यह पैसा वापस लेना मुश्किल होगा। लेकिन यह सामने आया कि नैतिकता अभी भी गरीबों का आभूषण बनी हुई है।

विश्व बैंक ने की भारत की तारीफ

विश्व बैंक ने कोरोना काल के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए भारत की तारीफ की है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा कि अन्य देशों को भी भारत की तरह व्यापक सब्सिडी देने के बजाय लक्षित डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करना चाहिए।

मालपास ने विश्व बैंक की ओर से शोध रिपोर्ट 'पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रास्पेरिटी' जारी करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी से सबसे गरीब लोगों को सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारत ने डिजिटल कैश ट्रांसफर के जरिए 85 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और 69 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर शहरी लोगों को भोजन या नकद राशि देकर मदद की। उन्होंने बताया कि अन्य कई विकासशील देशों ने भी कोरोना के दौरान अच्छी सफलता हासिल की।

जल कनेक्शन लेने को आगे आए लोग

प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत जल कनेक्शन लेने के लिए ग्रामीण अब रुचि दिखाने लगे हैं। छह माह पहले जहां पेयजल परियोजनाओं में जनसहभागिता के पेटे दस प्रतिशत राशि जुटाने में इंजीनियरों को पसीने आ रहे थे वहीं अब लोगों की इसमें सहभागिता तेजी से बढ़ रही है।

जनसहभागिता बढ़ने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जारी होने वाले जल कनेक्शनों की संख्या प्रतिदिन 3 हजार तक पहुंच गई है। जनसहभागिता की दस प्रतिशत राशि जमा होते ही पीएचईडी के इंजीनियर जल कनेक्शन जारी कर रहे हैं।

अन्नदाताओं की अनूठी पहल

करीब 25 गांवों के काश्तकार अपने खेतों में तैयार हुई फसल का दसवा हिस्सा दान कर बीकानेर के आचार्य तुलसी कैंसर सेंटर में लंगर चलाते हैं। इससे यहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों व परिजनों को मान मनुहार के साथ शुद्ध भोजन कराया जाता है।

कभी एक व्यक्ति की ओर से शुरू किए गए इस लंगर में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सैंकड़ो किसान और अन्य सेवाभावी जुड़ चुके हैं। वर्तमान में यह लंगर भैंरूरतन दमाणी धर्मशाला ट्रस्ट में चल रहा है। यहां करीब 50 सेवादार चौबीस घंटे नि:स्वार्थ सेवा देते हैं। भोजन जब तैयार हो जाता है तो सेवादार कैंसर वार्ड में जाकर मरीजों व परिजनों को भोजन के लिए आमन्त्रित करता है। दो समय के भोजन के अलावा सुबह-शाम चाय की भी व्यवस्था की गई है।

आदिवासी बेटी का संपत्ति में अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब गैर-आदिवासी की बेटी पिता की संपत्ति में समान हिस्से की हकदार है तो आदिवासी बेटी को इस तरह के अधिकार से वंचित करने का कोई कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी आदिवासी महिलाओं के उत्तराधिकार से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान की।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे की जांच करने और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार करने का निर्देश भी दिया है। दरअसल, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार, पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों के लिए समान हिस्से की गारंटी देने वाला कानून अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होता। ऐसे में अनुसूचित जनजाति की बेटियां पिता की संपत्ति की हकदार बनने से वंचित रह जाती है।

मोटा अनाज से होता है 36 रोगों का इलाज

संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज से निर्मित उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी लगेगी। इसे लेकर सरकार ने नई पहल की है। नाबार्ड के जरिए सीकर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।

वहां महिलाओं को बाजरे से विभिन्न उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बाजरे के बिस्किट, मिठाई व अन्य निर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया जाएगा।

मानना है कि यदि मोटा अनाज फिर से चलन में आ जाए तो 70 फीसदी लोग कुपोषण से मुक्त हो जाएंगे। ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, जैसे कई मोटे अनाजों में कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, कई खनिज तत्व, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। इनके उपयोग से लोग मोटापा, डॉयबिटीज, एनिमिया, हार्ट और कोलेस्ट्राल जैसी 36 बीमारियों से भी मुक्त हो सकते हैं।

किसान कराएं खेत की मिट्टी की जांच

खेती से बढ़िया उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच बहुत जरूरी होती है। इसका खास मकसद खेती की जरूरत के मुताबिक उसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है। इससे उत्पादन बढ़ता है और लागत में भी कमी आती है। भारत सरकार द्वारा मिट्टी की जांच पर खास ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2015 मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया था और देश में प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी।

मिट्टी के स्वास्थ्य से ही हमारी सेहत जुड़ी है। अधिक पैदावार व लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग आवश्यक है। इसके लिए मिट्टी का परीक्षण करवाना बहुत जरूरी होता है। जांच से पता चलता है कि खेत की मिट्टी में कौनसा पोषक तत्व उचित, अधिक या कम मात्रा में है। किसानों को मिट्टी के अनुकूल कृषि पद्धति अपनानी चाहिए।

राज्यपाल करेंगे ग्रामीण इलाकों का दौरा

केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने की मानसिकता और परिपाटी को बदलने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। इसके तहत राज्यपालों को राजभवन से निकल कर ग्रामीण इलाकों का दौरा करना होगा और जरूरतमंदों की फरियाद सुननी होगी। इसके लिए कोई नियम तो नहीं है, लेकिन पहल हो चुकी है।

इसकी शुरुआत गोवा से हुई है। राज्यपाल श्रीधरण पिल्लई ने बीते 15 दिन में राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में दौरा किया। इस दौरान वे 100 ग्राम पंचायतों तक पहुंचे और सांसदों, विधायकों व सरपंचों समेत जनता से संवाद किया। सूत्रों के मुताबिक तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविद ने इच्छा जताई थी कि राज्यपालों को जनता के बीच जाना चाहिए।

प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ नसबंदी हो रही फेल

राजस्थान में पिछले 6 साल के दौरान 8475 नसबंदी केस फेल हो चुके हैं। राजस्थान से ज्यादा नसबंदी फेल किसी भी राज्य में नहीं होती। सैकड़ों मामले कोर्ट तक पहुंचे हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग को इस अवधि में 25.5 करोड़ रुपए हर्जाना या मुआवजा भुगतना पड़ा है। हर साल औसतन 1400 से 2500 नसबंदी फेल होने की बात सामने आई है।

पिछले छह सालों में प्रदेश में नसबंदी के 8475 केस फेल होने पर पीड़ितों को 25 करोड़ 39 लाख 90 हजार रुपए मुआवजा देना पड़ा। इस अवधि में नसबंदी के बाद 45 महिलाओं की मौत हो गई। उनके परिजनों को 69 लाख 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया गया। गौरतलब यह है कि नसबंदी की शिकार सिर्फ महिलाएं होती हैं। पुरुष अब भी केवल एक प्रतिशत ही नसबंदी कराते हैं।

कृषक उत्पादन संगठन, जैव उर्वरक प्रदर्शन एवं वितरण कार्यक्रम

'कट्स' मानव विकास केंद्र द्वारा संचालित कृषक उत्पादन संगठनों का निर्माण एवं संवर्धन परियोजना के तहत तीन दिवसीय जैविक खेती एवं जैव उर्वरकों के महत्व पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ जिले के बस्सी, गंगरार, भदेसर, बड़ी सादड़ी एवं भरतपुर के नगर ब्लॉक के कृषक उत्पादन संगठनों के किसानों को कृषि आधारित प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं जैव उर्वरक किट वितरण कार्यक्रम में जैविक खेती जागरूकता कार्यक्रम के प्रभारी राजदीप पारीक तथा कृषक उत्पादन संगठन के कार्यक्रम प्रभारी सुरेश शर्मा द्वारा किसानों को जैव उर्वरकों के उपयोग की जानकारी दी गई।

साथ ही, बीज उपचार की विधि का डेमो देकर जैव उर्वरकों का उपयोग समझाया गया। कार्यक्रम में चित्तौड़गढ एवं भरतपुर संभाग के कृषि विभाग से रमेश चन्द्र चौधरी, आत्मा योजना के निदेशक योगेश शर्मा ने कृषि में जैव उर्वरकों के उपयोग का महत्व, इस्तेमाल एवं उच्च तकनीकी अपनाने पर जोर दिया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर